# Terms of Reference Finance Analyst

Name of Division	NHM Finance Division (Financial Management Group)
Reporting to	Director/DS (NHM-Fin), US (NHM-Fin) and Finance Controller
Name of Position	Finance Analyst
Number of Positions	Two
Location	MoHFW, New Delhi

National Health Systems Resource Centre (NHSRC), New Delhi on behalf of Ministry of Health & Family Welfare is seeking applications from qualified candidates for the above mentioned post purely on contractual basis.

### 1. Background

National Health Mission is the umbrella programme of the Ministry of Health & Family Welfare, GOI to provide holistic public health delivery system both in the rural areas and urban areas. The manpower support in the shape of technical assistance purely on a contractual basis is required to assist in the implementation and monitoring of the financial management systems under NHM.

### 2. Objective

Finance Analyst at the central level, has to monitor the funds management under NHM including release of funds, expenditure, FMRs, SFPs, unspent balances, Statutory Audit, Concurrent Audit, E-banking, Utilization Certificates, field review visits and action taken thereon by the States.

### 3. Scope of Work

### **Key Responsibilities:**

- i. Oversee data consolidation, generation of financial MIS activity-wise, Division-wise, state-wise, quarter and year-wise and generation of comparative statements with reference to percentage of allocation, release and expenditure by Finance Assistants.
- ii. Oversee preparation of financial year-wise sanction orders and overall settlement of UCs with PAO, MoHFW by Finance Assistants.
- iii. Electronic transfer of funds to the States/UTs, website updation and maintenance of centralized fund transfer data-base for all programmes under NHM by Finance Assistants.

#### Other Responsibilities

- i. Monitoring receipt of FMRs, Statement of Funds Position and Monthly Concurrent Audit Report from States/UTs and provide feedback on the trend of funds allocation, release and expenditure.
- ii. Monitoring Statutory Audit process, timely receipt of Consolidated Audit Reports and Utilisation certificates, examination thereof and obtaining compliance from the respective States UTs.
- iii. Compilation of component-wise funds utilisation data base for various programmes under NHM.
- iv. Analysis of data relating to funds utilization, audited utilization certificates, trends of expenditure, pattern of utilization among the intraNHM components as per FMR format.
- v. Preparation of FMR & Audit Analysis Reports for NHM programmes and their circulation to respective Programme Divisions of the Ministry and States/UTs for comments.
- vi. Interaction with NDCPs relating to their progressive funds release and expenditure and obtaining the prescribed monthly status reports from them.
- vii. Review of financial processes in the States/UTs with reference to NHM financial management guidelines and suggesting improvements therein.
- viii. Joint Team Visits to States for finance, accounts and audit performance review, specific financial studies and preparing Reports with observations & recommendations for improvement.
- ix. Conduct training & capacity building workshops including tally for the State/District/block level finance/accounts staff from time to time and providing technical assistance to States/UTs
- x. Provide information and data support regarding Parliament Questions/Committees, RTI, VIP references, CAG & DGACE audits etc. from time to time.

xi. To maintain and ensure regular updation of Dashboard/ electronic database functioning in NHM–Finance Divsion.

### 4. Outputs

Timely action on all tasks and responsibilities and submission of a detailed report to Director/DS (NHM-Finance) at the end of every quarter of action taken and proposed to be taken.

### 5. Qualifications and experience

MBA (Finance) or PGDBM/PGDBA specialized in finance from a recognized Institution.

Experience of at least 5 years in finance and accounts matters in social, private or government sector. Knowledge of computerized accounting packages such as Tally, MS Office.

### 6. Travel and subsistence

The consultant should be ready to travel extensively to State/District/Block/village levels. All travels must be authorized in advance by the Director/DS (NHM-Finance) in advance. While travelling, the consultant will receive a fixed per diem allowance for boarding/lodging expenses as per the rules of Development Partner or his TMSA or the GOI rules.

### 7. Reporting Requirements

The consultant will submit a report to the Director/DS (NHM-Finance) at the end of every quarter.

### 8. Consultancy period

Initially, **contract will be upto 31**<sup>st</sup> **March 2023**. It may be renewed further for a period of one year subject to satisfactory performance, purely at the discretion of the MoHFW, GOI. The consultancy can, however, be terminated by either party by giving a notice of one month in writing.

#### 9. Remuneration

The consultant will be paid a consolidated monthly remuneration of Rs.60,000/- to Rs.1,20,000/- on the basis of qualifications and experience as may be decided by the Joint Selection Board of the GOI, Development Partner and other nominated subject experts. If engaged and paid through GOI budget, the remuneration shall be decided by the MoHFW Selection/Review Committee on the basis of conditions prevailing at the time of open advertisement for that purpose.

The consultant shall not be entitled to any other benefits, payment, subsidy, compensation or pension, except as expressly provided in the consultancy agreement. The consultant shall not be exempt from taxation and shall not be entitled to reimbursement of any taxes which may be levied as per existing rules on the remuneration received. Consultants recent CV and evidence of last consultancy payment received should be attached.

**10. Age Limit:** Upto 45 years on the last date of submitting application.

#### How to apply:

Candidates are requested to fill the online application correctly which is available on the NHSRC website (http://nhsrcindia.org). Applications will be accepted in the prescribed online application format only. The last date for receiving applications is **23-Aug-2022**.

### वित्त विश्लेषक (एनएचएम- वित्त) के पद के लिए निबंधन औप शर्ते

विभाजन का नाम	एनएचएम वित्त प्रभाग (वित्तीय प्रबंधन समूह)
रिपोर्टिंग	निदेशक/ उप- सचिव (एनएचएम-वित्त), अवर सचिव (एनएचएम-वित्त) और वित्त
	नियंत्रक
स्थिति का नाम	वित्त विश्लेषक
पदों की संख्या	दो
स्थान	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र (एनएचएसआरसी), नई दिल्ली स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से उपर्युक्त पद के लिए पूर्णत: संविदात्मक आधार पर नियुक्ति के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है।

### 1. पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मुख्यतया ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों दोनों में समग्रतावादी जन स्वास्थ्य प्रदानगी प्रणाली प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का व्यापक कार्यक्रम है। पूर्णतया संविदात्मक आधार पर तकनीकी सहायता के रूप में जनशक्ति सहायता से एनएचएम के अंतर्गत वितीय प्रबंधन प्रणालियों के कार्यान्वयन तथा मॉनीटरिंग में मदद मिलनी अपेक्षित है।

# 2. उद्देश्य

केन्द्रीय स्तर पर वित्त विश्लेषक को एनएचएम के तहत निधियों के निर्मोचन, व्यय, एफएमआर, एसएफपी, अव्ययित शेष, सांविधिक लेखा परीक्षा, समवर्ती लेखा परीक्षा, ई-बैंकिंग, उपयोग प्रमाण-पत्रों, क्षेत्र समीक्षा दौरे और उन पर राज्यों दवारा की गई कार्रवाई सिहत वित्तीय प्रबंधन की निगरानी करेगा है।

### 3. कार्यक्षेत्र

# मुख्य जिम्मेदारियां:

- डाटा समेकन का सिंहावलोंकन, गित- वार प्रभाग- वार, राज्य- वार, त्रैमासिक तथा वर्ष- वार वितीय एमआईएस तैयार करना और वित्त सहायकों द्वारा आवंटन, निर्मुक्ति तथा व्यय की प्रतिशतता के संदर्भ में तुलनात्मक विवरण तैयार करना।
- ii. वित्तीय सहायकों द्वारा स्वीकृति आदेशों की वित्तीय वर्ष वार फाइलों को तैयार करने का सिंहावलोंकन एवं पीएओ, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के पास उपयोगिता प्रमाण- पत्रों का पूर्णतया निपटान करना।
- iii. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों का इलेक्ट्रॉनिक अंतरण, वेबसाइट अद्यतन बनाना तथा वित सहायकों द्वारा एनएचएम के अंतर्गत सभी कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीकृत निधि अंतरण डाटा बेस को अन्रक्षण।

### अन्य उत्तरदायित्व

- एफएमआर की प्राप्ति की मानीटिरंग, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से निधि संबंधी स्थिति तथा मासिक समवर्ती लेखा
  परीक्षा रिपोर्ट का विवरण एवं निधि का आबंटन, निर्मिक्त और व्यय के रूझान के संबंध में फीडबैक प्रदान करना।
- ii. सांविधिक लेखा परीक्षा प्रक्रिया की मॉनिटरिंग, समेकित लेखा परीक्षा रिपोर्टों और उपयोग प्रमाण पत्रों की समय पर प्राप्ति, तत्संबंधी जांच तथा संबंधित राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से अनुपालन प्राप्त करना।
- iii. एनएचएम के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के लिए घटक-वार निधि उपयोग डाटा बेस का संकलन।
- iv. एफएमआर फार्मेट के अनुसार अंतरा एनएचएम घटकों में निधि उपयोग, लेखा परीक्षित उपयोग प्रमाण-पत्र, व्यय संबंधी रूझानों, उपयोग के पैटर्नों से संबंधित डाटा विश्लेषण।
- v. एनएचएम कार्यक्रमों के लिए एफएमआर और लेखा परीक्षा विश्लेषण रिपोर्ट तैयार करना और टिप्पणियों के लिए मंत्रालय के संबंधित कार्यक्रम प्रभागों एवं राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित करना।
- vi. एनडीसीपी के साथ उनकी प्रगामी निधि निर्मुक्ति एवं व्यय के संबंध में वार्ता करना तथा उनसे निहित मासिक स्थिति रिपोर्ट प्राप्त करना।
- vii. एनएचएम वित्तीय प्रबंधन दिशा-निर्देशों के संदर्भ में राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में वित्तीय प्रक्रियाओं की समीक्षा करना तथा तत्संबंधी सुधारों का सुझाव देना।
- viii. सुधार हेतु टिप्पणियों एवं सिफारिशों के प्रयोजनार्थ राज्यों में वित्त, लेखा एवं लेखा परीक्षा निष्पादन समीक्षा, विशेष वित्तीय अध्ययन तथा रिपोर्ट तैयार करने के लिए संयुक्त दलीय दौरा करना।
- ix. समय-समय पर राज्य/ जिला/ ब्लॉक स्तरीय वित्त/ लेखा के स्टॉफ के लिए टैली सहित प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यशालाएं आयोजित करना और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी सहायता प्रदान करना
- संसदीय प्रश्नों/ समितियों/ आऱटीआई/ वीआईपी संदर्भों/ सीएजी तथा डीजीएसीई लेखा परीक्षा आदि के संबंध में
  समय- समय पर सूचना एवं डाटा सहायता प्रदान करना।
- xi. एनएचएम-वित्त प्रभाग में डैशबोर्ड/ इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस कार्यप्रणाली का रख- रखाव और उसे नियमित रूप से अद्यतन करना।

# 4. आउटपुट

सभी कार्यों और जिम्मेदारियों पर समय पर कार्रवाई करना और प्रत्येक तिमाही के अंत में की गई/ की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट निदेशक/ उप- सचिव (एनएचएम-वित्त) को प्रस्तुत करना।

# 5. अर्हताएं एवं अनुभव

किसी मान्यता प्राप्त संस्था से एमबीए (वित्त) या वित्त में विशेषज्ञता सहित पीजीडीबीएम/ पीजीडीबीए।

सामाजिक, निजी अथवा सरकारी क्षेत्र में वित एवं लेखा संबंधी मामलों में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव । कंप्यूटरीकृत लेखाकरण पैकेज अधिमानत: टैली, एमएस ऑफिस की जानकारी हो।

### 6. यात्रा और निर्वाह

परामर्शदाता को राज्य/ जिला/ ब्लॉक/ ग्राम स्तरों पर व्यापक रूप से यात्रा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सभी यात्राओं को निदेशक/ उप- सचिव (एनएचएम-वित्त) द्वारा अग्रिम रूप से प्राधिकृत किया जाना आवश्यक है। यात्रा के समय, परामर्शदाता को विकास के भागीदार अथवा उसके टीएमएसए अथवा भारत सरकार के नियमान्सार खान- पान/ आवास पर व्यय के लिए निर्धारित दैनिक भत्ता देय होगा।

### 7. रिपोर्टिंग आवश्यकताएँ

परामर्शदाता प्रत्येक तिमाही के अंत में निदेशक/उप- सचिव (एनएचएम-वित्त) को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

### 8. परामर्श अवधि

प्रारंभ में यह संविदा 31 मार्च 2023 तक होगी। संतोषजनक ढंग से कार्य निष्पादन करने पर संविदा को केवल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के स्वविवेक से एक वर्ष के लिए आगे बढ़ाने हेतु नवीकृत किया जा सकता है फिर भी, परामर्श सेवा को दोनों में से किसी एक पक्ष द्वारा लिखित रूप में एक माह का नोटिस देकर समाप्त किया सकता है।

### 9. पारिश्रमिक

परामर्शदाता को उसकी अर्हताएं एवं अनुभव के आधार पर भारत सरकार के संयुक्त चयन बोर्ड, विकास भागीदार और अन्य नामित विषय विशेषज्ञों द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार 60,000 रुपये से 1,20,000 रुपये प्रति माह मासिक पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। यदि नियोजन भारत सरकार के बजट के जिरए हो, तो पारिश्रमिक के संबंध में निर्णय उस प्रायोजन के लिए खुले विज्ञापन के समय विद्यमान शर्तों के आधार पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की चयन समीक्षा समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

परामर्शदाता को परामर्श सेवा करार में स्पष्ट रूप से उल्लिखित लाभों को छोड़कर कोई अन्य लाभ, भुगतान, सिब्सिडी, मुआवजा या पेंशन प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा। परामर्शदाता को कर भुगतान से छूट नहीं दी जाएगी और उसे प्राप्त पारिश्रमिक पर मौजूदा नियमों के अनुसार लगाए गए करों का भुगतान करना होगा। आवेदन के साथ परामर्शदाता का हाल का जीवन- वृत्त (सीवी) और पिछली परामर्श सेवा में प्राप्त भुगतान का साक्ष्य संलग्न किया जाना चाहिए।

# 10. आयु सीमा:

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पर 45 वर्ष तक।

आवेदन करने के लिए: उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन सही तरह से भरने का आग्रह किया जाता है जो एनएचएसआरसी की वैबसाइट <a href="http://nhsrcindia.org">http://nhsrcindia.org</a> पर उपलब्ध है। आवेदन केवल निर्धारित ऑनलाइन प्रारूप में होने पर ही स्वीकार किया जाएगा। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 23-Aug-2022 है।